(राजस्थान—सरकार)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :— 34 / 2024**

**पंजीकरण सं. :— 2024 / 155**

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबड़ौद जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारॉ

(सायल)

बनाम

रामस्वरूप उर्फ डाकू पुत्र प्रेमचंद चौरसिया निवासी छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)

2— श्री संजय नागर अभिभाषक (गैरसायल)

## निर्णय दिनांक 08.10.2024

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामस्वरूप उर्फ डाकू पुत्र प्रेमचंद चौरसिया निवासी छीपाबड़ौद जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबड़ौद ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छीपाबड़ौद क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना छीपाबड़ौद में वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 04.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर [illegible] गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक के जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष [illegible] बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:55:54 IST
Reason: SelfAttested

**दौराने बहस अभियोजन अधि**[illegible] है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छीपाबड़ौद में वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक कुल 09 आपराधिक प्रक[illegible] धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक [illegible]धियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत [illegible] ठीक नहीं है। इसका आम [illegible] में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे। गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे मे न्यायालय निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

**इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये कथन किया गया कि कार्यवाही में अंकित किये गये प्रकरण दर्ज होने में कोई आपत्ति नहीं है किंतु गैरसायल एक काश्तकार ग्रामीण व्यक्ति है तथा गावं में काश्तकारी कार्य से निवृत्त हो जाने के बाद समय बिताने के लिए देहला कोट ताश खेलते है। गैरसायल भी उक्त खेल रहे देहला कोट के व्यक्तियों के पास खड़ा होने के कारण गैरसायल के खिलाफ उक्त प्रकरण दर्ज किए गए है जिनसे गैरसायल का कोई वास्ता नहीं है। गैरसायल ने उक्त प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु जुर्म स्वीकार करने हेतु न्यायालय श्रीमान् में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर गैरसायल को जुर्माना राशि से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है तथा उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के खिलाफ आज तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इसलिये गैरसायल के विरूद्व खोली गई कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा क्योंकि गैरसायल एक काश्तकार व्यक्ति है जो काश्तकारी कार्य पर आश्रित है। अतः निवेदन है कि गैरसायल के खिलाफ की गई कार्यवाही का निस्तारण किये जाने की कृपा करें।

**प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक** की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छीपाबड़ौद में वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणो मे से समस्त प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रामस्वरूप उर्फ डाकू पुत्र प्रेमचंद चौरसिया निवासी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2(आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल रामस्वरूप उर्फ डाकू पुत्र प्रेमचंद चौरसिया निवासी छीपाबड़ौद जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, छीपाबड़ौद से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल रामस्वरूप उर्फ डाकू पुत्र प्रेमचंद चौरसिया निवासी छीपाबड़ौद जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र छीपाबड़ौद से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, छबड़ा जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 24.10.2024 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना, छीपाबड़ौद जिला बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना छीपाबड़ौद जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:55:54 IST
Reason: SelfAttested

( दिवांशु शर्मा )
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ